

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11853 / 3632

दिनांक :- 07-19

कार्यालय आदेश

श्री/श्रीमती/ सुश्री अरुण वर्मा [लिंक न. 11853] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल, जयपुर - [8526] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 03/10/2018 से 11/10/2018 तक 9 दिवस

दिनांक 12/10/2018 से 26/10/2018 तक 15 दिवस (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)

कुल 24 दिवस

उक्त कुल 24 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री/श्रीमती/ सुश्री अरुण वर्मा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11853 / 3632

दिनांक :- 07-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल, जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री/श्रीमती/ सुश्री अरुण वर्मा [11853] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल, जयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)